न्यायालय त्रयोदश अपर सत्र न्यायाधीश , भोजपुर, आरा
अग्रिम जमानत आवेदन संख्य–3358 / 2022
हरे कृष्णा राम एवं अन्य
बनाम
बिहार राज्य

Serial no.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	15-02-2023	आवेदकगण की ओर से दस्तावेज सूची के साथ कोईलवर थाना काण्ड संख्या–619 / 2022 का प्राथमिकी का छाया प्रति दाखिल किया गया। आवेदकगण हरे कृष्णा राम, अरूण पासवान, प्रभावती देवी, उमेश पासवान, धनंजय कुमार, हरे राम पासवान, जिन्हें कोईलवर थाना काण्ड संख्या–620 / 2022 अन्तर्गत धारा–147, 149, 341, 323, 379, 354, 307, 447, 504, 506 भा0द0वि0 में गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से अग्रिम जमानत हेतु दाखिल आवेदन दिनांक– 17.12. 2022 को अपर लोक अभियोजक की उपस्थिति में सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अक्षय लाल तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री नागेन्द्र सिंह को सुना। सूचक अनिल कुमार राम के फर्द बयान के अनुसार अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक–27.09.2022 को समय करीब 8 बजे सुबह में वह घर पर था तो देखा कि उसके गांव के हरेराम राम उसके घर के उत्तर तरफ से ईंट फेका। हरेराम से पुछने पर वह बोलो कि धर्मशीला कुंवर ने ईंट फेका है। ईंट फेकने का शीलशीला दो–तीन बार हुआ। तब उसने ईट फेकने से मना किया। तब तक सभी अभियुक्त लाठी, भाला, लोहे का रॉड लेकर आयें और उनको मारने लगे जिससे उसका सर के पीछे जख्म आया एवं बायें उंगुली पर चोट आया। उसके पिता को भी अभियुक्त लोगों ने मारकर सर फाड़ दिया जिससे गर्दन पर चोट आया। उसके भाई सचिदानन्द को भी उक्त लोगों ने मारा जिससे उसके सर पर जख्म आया एवं दाहिना हाथ में चोट आया। उसके चाचा को भी मारकर जख्मी कर दिए। फिर उसके चचेरे भाई चन्दन कुमार, चचेरे भाई आत्मा कुमार को उनलोगों ने मारा जिससे उन्हें चोट आई। हरेराम उसकी चाची कलपातों देवी के गले से सोने का जिउतिया ले लिया। गांव के लोग जुट गए एवं बीच–बचाव किया। उनका इलाज आरा सदर अस्पताल में हुआ।	

न्यायालय त्रयोदश अपर सत्र न्यायाधीश , भोजपुर, आरा
अग्रिम जमानत आवेदन संख्य–3358 / 2022
हरे कृष्णा राम एवं अन्य
बनाम
बिहार राज्य

Serial no.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार **15-02-2023**	सूचक के उपरोक्त फर्द बयान के आधार पर कोईलवर थाना काण्ड संख्या–620 / 2022 अन्तर्गत धारा–147, 149, 341, 323, 379, 354, 307, 447, 504, 506 भा0द0वि0, सह अभियुक्तगण एवं आवेदकगण के विरूद्ध दर्ज हुआ एवं अनुसंधान आरम्भ हुआ। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण द्वारा कोई अग्रिम या नियमित जमानत हेतु कोई आवेदन सत्र न्यायालय के समक्ष या माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदकगण बिलकुल निर्दोष हैं तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण को झूठा फंसाया गया है। अभियोजन का जैसा कहना है वैसी कोई घटना नहीं घटी है। आवेदकगण के पास से कोई भी समान बरामद नहीं हुआ है। यह केस कोईलवर थाना काण्ड संख्या–619 / 2022 का पलटा केस है। आवेदकगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण न्यायालय के सभी शर्तो का अनुपालन करने को तैयार हैं। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आधार पर आवेदकगण को उनकी गिरफ्तारी या निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने की स्थिति में जमानत पर मुक्त करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदकगण की अग्रिम जमानत की प्रार्थाना का विरोध किया गया। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के उपरोक्त कथन के अलोक में अभिलेख एवं केस दैनिकी का अवलोकन किया। केस दैनिकी की कण्डिका–6 में साक्षी लालामणी देवी एवं कण्डिका–7 में साक्षी धान मुनी देवी का बयान है जिन्होनें सूचक के फर्द बयान में वर्णित तथ्यों का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। उपरोक्त साक्षियों के बयान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदकगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–8 में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि	

न्यायालय त्रयोदश अपर सत्र न्यायाधीश , भोजपुर, आरा
अग्रिम जमानत आवेदन संख्य–3358 / 2022
हरे कृष्णा राम एवं अन्य
बनाम
बिहार राज्य

Serial no.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार **15-02-2023**	अनुसंधानकर्ता द्वारा साक्ष्य के लिए अन्य साक्षियों एवं वादी का खोजबीन किया परन्तु कोई भी व्यक्ति गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ और न ही उपस्थित हुआ क्योंकि वादी कांड संख्या–619 / 2022 के अभियुक्त है जो इस केस का पलटा केस है। काण्ड दैनिकी के साथ जख्मी लाल बहादुर राम का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि चिकित्सक द्वारा उसके ललाट पर साधारण प्रकृति का जख्मी पाया गया है। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश–10 द्वारा सह–अभियुक्तों को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण की अग्रिम जमानत की प्रार्थाना को **स्वीकृत** किया जाता है तथा आवेदकगण **हरे कृष्णा राम, अरूण पासवान, प्रभावती देवी, उमेश पासवान, धनंजय कुमार, हरे राम पासवान** को उनकी गिरफ्तारी या एक माह के अन्दर निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने की स्थिति में 10,000 / – रूपये के समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित बंधपत्र निष्पादित करने पर निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि वे इस केस के अनुसंधान एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे। (लेखापित) ह0 / – अ0 सत्र न्या0–13 भोजपुर, आरा	